रुजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258380 SG-DL-E-30102024-258380

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024/कार्तिक 7, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 238 No. 274] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946 [N. C. T. D. No. 238

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2024

सं. फा. 6/39/2023-न्यायिक/1912-1916.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा 2(बी) यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 एवं दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 3 में निहित प्रावधान के अनुसरण में एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 45-डी की उप-धारा (ए) के साथ पठित एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी क्रमांक 3753 (ई) दिनांक 02.09.2024 के संदर्भ मे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, सहर्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बाखरू, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर.

> > रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

7078 DG/2024 (1)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 29th October, 2024

No. F. 6/39/2023-Judl./Suptlaw/1912-1916.—In exercise of powers conferred by sub-section 2(b) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987, as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002 and Rule 3 of the Delhi Legal Services Authority Rules, 1996 read with sub-section (a) of Section 45D of Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and S.O. No. 3753 (E) dated 2nd September, 2024 issued by Ministry of Home Affairs, Govt. of India, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi is pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Vibhu Bakhru, Judge, High Court of Delhi as Executive Chairman of Delhi State Legal Services Authority.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi REETESH SINGH, Principal Secy.